

न्यायालय : उपजिलाधिकारी

मण्डल : वाराणसी, जनपद : जौनपुर, तहसील : बदलापुर

वाद संख्या : 00868/2019

कंप्यूटरीकृत वाद संख्या T201914360200868

संजय कमार बनाम सरकार

अंतर्गत धारा :- 80, अधिनियम:- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

निर्णय

ए०बी०एस० इंटरनेशनल स्कूल एण्ड कालेज प्रबन्धक संजय सिंह निवासी ग्राम-अमारी, पो०-महराजगंज तह०-बदलापुर, जिला-जौनपुर ने आराजी संख्या 18मि०/२, 20कमि०/२ कुल 2 गाटा 1.7570हे० मौजा सवंसा परगना-गड़वारा, तह०-बदलापुर, जिला-जौनपुर के बावत धारा 80 रासं० के अन्तर्गत अकृषिक घोषित किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रश्नगत प्रार्थना पत्र के आलोक में तहसील में हलका लेखपाल/राजस्व निरीक्षक/नायब तहसीलदार/तहसीलदार बदलापुर की जाँच आख्या क्रमशः दिनांक 22.03.2019 नियत प्रारूप पर प्राप्त होकर संलग्न पत्रावली है। हलका लेखपाल/राजस्व निरीक्षक/नायब तहसीलदार/तहसीलदार बदलापुर ने इस आशय की जाँच आख्या प्रेषित किया है कि मौजा सवंसा परगना-गड़वारा, तह०-बदलापुर, जिला-जौनपुर में स्थित आराजी संख्या 18मि०/२, 20कमि०/२ कुल 2 गाटा 1.7570हे० पर खतौनी अभिलेख में ए०बी०एस० इंटरनेशनल स्कूल एण्ड कालेज जरिये प्रबन्धक प्रबन्धक संजय सिंह निवासी ग्राम-अमारी, पो०-महराजगंज तह०-बदलापुर, जिला-जौनपुर का नाम संक्रमणीय भूमिधर के रूप में अंकित है। उक्त आराजियात के 0.407हे० रकबे पर पक्का कमरा, परती व सहन है। मौके पर जोता बोया नहीं जाता है तथा अकृषिक है। गाटा सं० 18मि०/२, 20कमि०/२ कुल 2 गाटा 1.7570हे० गैर कृषिक घोषित किये जाने हेतु रिपोर्ट प्रेषित की गयी है। प्रकरण व्यवसायिक होने के कारण प्रार्थी द्वारा सर्किल रेट के मुताबिक 1 प्रतिशत मु० 164100/- रु० उद्घोषणा शुल्क (भारतीय स्टेट बैंक शाखा बदलापुर में जमाकोष करके चालान की मूल प्रति) तथा धनराशि मु० 164100/- रु० का न्याय शुल्क भारतीय कोर्ट फी स्टैम्प पेपर प्रस्तुत किया गया है। ऐसी दशा में हलका लेखपाल/राजस्व निरीक्षक/नायब तहसीलदार बदलापुर/तहसीलदार बदलापुर की जाँच आख्या क्रमशः दिनांक 22.03.2019 स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः आदेश हुआ कि मौजा सवंसा परगना-गड़वारा, तह०-बदलापुर, जिला-जौनपुर की गाटा संख्या 18मि०/२, 20कमि०/२ कुल 2 गाटा 1.7570हे० का मालगुजारी मुताबिक 60-ख कृषि से भिन्न प्रयोजन में प्रयुक्त होना घोषित किया जाता है। आदेश की एक प्रति तहसीलदार बदलापुर एवं उपनिबन्धक बदलापुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाय। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली संचित अभिलेखागार हो।

22.3.19

